तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। तहसीलदार नेगू से रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट मे दिनांक 24.9.25 को पेश हो।
24.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार नेगू से रिकार्ड मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई प्राप्त रिपोर्ट पर पुन: वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 29.9.25 को पेश हो।
29.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 07 नि. 11 जा. दी. का स्वीकार होने से मूल प्रा. पत्र अ. धा. 177 R.T.A खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्याः– 24/2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0) बनाम श्रीमती ममता पत्नि सुनिल कुमार खटीक निवासी भंवरियाकला तह. बेगूँ

प्रार्थना पत्र अ0धा0 177 राज0काश्त0अधि0

उपस्थित :– श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार
श्री विष्णुकुमार चतुर्वेदी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :– 29.09.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी

प्रार्थना पत्र पत्रावली में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजस्व भूमि बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह कि विपक्षी द्वारा उक्त भूमि को सन 2015 में ही संपरिवर्तन करा ली गई, जबकि प्रार्थना पत्र धारा 177 राज.टी.एक्ट सन् 2020 में प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पूर्व से उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात संपरिर्वतीत हो जाने से कोई वाद कारण पैदा नही होता इसलिए भी प्रार्थना पत्र खरीज होने योग्य है।

यह कि न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार का नहीं होने से एवं वाद कारण पैदा नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 राज.टी.एक्ट का अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जायेगें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खरीज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार बेगूँ प्रार्थी पैरोकार सरकार की दी गई जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण मे वर्णित भूमि आज दिनांक तक राजस्व भूमि होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के सम्मुख पेश किया गया है। यह कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वर्णित आराजीयात का अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा सन 2015 में ही उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है तो किस प्रयोजन करवाया गया तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वर्तमान में संपरिवर्तन प्रयोजन अनुसार ही उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि राजस्व भूमि होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का संपरिवर्तन नहीं होने से वाद कारण उत्पन्न होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया गया है को खारिज फरमाय जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी (विपक्षी) द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत करते हुए प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाने का निवेदन किया जबकि पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि राजस्व भूमि होने से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, पुनः बहस में

अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि संपरिवर्तन भूमि होने का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने राजस्व विभाग की भारी भूल है, भूमि वर्तमान में संपरिवर्तन भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम लागू नहीं होते है।
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट भी तलब की गई जिसमें पाया कि ग्राम काटून्दा की वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी नं. 2036/1255 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि किस्म बंजड ममता पत्नि सुनिलकुमार हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा. भवरियाकलां खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर भूमि बेगूँ काटून्दा मोड सडक से लगती हुंई है। मौके पर 25 गुणसा 84 फीट पर पक्का निर्माण व 20गुणा 84 फीट पर पक्की दीवार का होना पाया गया व शेष पर कच्ची कोट होना पाया गया। रिपोर्ट में भूमि रूपांतरण सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है जिसका अवलोकन किये जाने पर पाया कि उक्त संपरिवर्तन आदेश तहसील कार्यालय के पत्र कमांक/राजस्व/प्र0सं0./15/ दिनांक 30.09.2015 को आराजी नम्बर 2036/1255 रकबा 0.32 हैक्टर मौजा काटून्दा की भूमि मे से 0.1920 हैक्टर (1920वर्गमीटर) भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं संपरिवर्तन आदेश के अवलोकन से पाया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 177 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया गया है जो कि मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 2036/1255 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि के लिए पेश किया है यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2020 में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अधिनस्थ तहसीलदार बेगूँ के द्वारा प्रस्तुत किया है जबकि तहसीलदार बेगूँ द्वारा ही उनके आदेश दिंनाक कमांक/राजस्व/प्र0सं0./15/ दिनांक 30.09.2015 को आराजी नम्बर 2036/1255 रकबा 0.32 हैक्टर मौजा काटून्दा की भूमि मे से 0.1920 हैक्टर (1920वर्गमीटर) भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी किया है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि कृषि भूमि नही होकर आवासीय संपरिवर्तित भूमि होने से प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी (विपक्षी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र विपक्षी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है। न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना की भूमि कृषि भूमि न होकर आवासी रूपान्तरित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ